कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उपखण्ड मंदसौर जिला मंदसौर (म प्र)

क्रमांक 1518 /री-1/2023 मंदसौर दिनांक 07/07/2023

आदेश

स्थानांतरण नीति 2023 में निहित प्रावधानों के तहत माननीय प्रभारीमंत्री महोदय जिला मंदसौर के अनुमोदन पश्चात प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से उपखण्ड मंदसौर की तहसील मंदसौर नगर/ग्रामीण एवं तहसील दलौदा में पदस्थ पटवारीगण को समान पद पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर 04 अनुसार आगामी आदेश तक अस्थाई रूप से स्थानान्तरण कर पदस्थ किया जाता है–

अ. क्र	नाम पटवारी	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1	2	3	4
1.	नानालाल पाटीदार	नेतावली पं.हं.नं. 43 तहसील ग्रामीण मंदसौर	लोध पं.हं.नं. 25 तहसील ग्रामीण मंदसौर
2.	मधुसूदन चौहान	दावतखेड़ी/दौलतपुरा पं.हं.नं. 07 07 तहसील मंदसौर नगर	सेमलियाहीरा पं.हं.नं. 09 तहसील दलौदा
3.	जसपाल रावत	अरनियानिजामुद्धिन पं.हं.नं. 20 तह. मंदसौर नगर	खिलचीपुरा पं.हं.नं. 15 तहसील मंदसौर नगर
4.	दिनेश सूर्यवंशी	भूखी/ढिकोला पं.हं.नं. 16 मंदसौर नगर	दावतखेड़ी/दौलतपुरा पं.हं.नं. 07 तहसील मंदसौर नगर
5.	परीक्षित चौहान	खिलचीपुरा पं.हं.नं. 15 तहसील मंदसौर नगर	लसुड़ियाईला पं.हं.नं. 37 तहसील दलौदा
6.	अर्जुनमाली	मोहम्मदपुरा पं.हं.नं. 14 तहसील मंदसौर नगर	धारियाखेड़ी पं.हं.नं. 02 तहसील मंदसौर नगर
7.	वर्षिता तिवारी	अटैच तहसील दलौदा	चांदाखेड़ी पं.हं.नं. 20 तहसील दलौदा
8.	महेश भावसार	पानपुर पं.हं.नं. 14 तहसील ग्रामीण मंदसौर	मोहम्मदपुरा पं.हं.नं. 14 तहसील नगर
9	विक्रमसिंह भाटी	आक्याउमाहेड़ा पं.हं.नं. 39 तहसील दलौदा	पाड़लियालालमुंहा पं.हं.नं. 10 तहसील दलौदा
10	डोली मकवाना	चांदाखेड़ी पं.हं.नं. 20 तहसील दलौदा	सगवाली पं.हं.नं. 21 तहसील दलौदा
11.	भारती सांवलिया	लसुड़ियाईला पं.हं.नं. 37 तहसील दलौदा	कचनारा पं.हं.नं. 38 तहसील दलौदा
12	प्रहलाद धाकड़	निपानिया अफजलपुर पं.हं.नं. 49 तहसील ग्रामीण मंदसौर	ग्राम बड़वन पं.हं.नं. 38 तहसील ग्रामीण मंदसौर
13.	मायनाज खान	लोध पं.हं.नं. 25 तहसील ग्रामीण मंदसौर	नेतावली पं.हं.नं. 43 तहसील ग्रामीण मंदसौर

1. स्थानांतरण आदेश जारी होने के दो सप्ताह के भीतर स्थानांतरित पटवारीगण को कार्यमुक्त किया जाना अनिवार्य होगा ।

यदि किन्ही महत्वपूर्ण लंबित शासकीय कार्यो के निपटाने के लिए कार्यमुक्त करने में कठिनाई हो तो कार्य करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा स्थानांतरण आदेश जारी करने वाले अधिकारी से पूर्वोक्त दो सप्ताह की अवधि बढ़ाने का तत्काल अनुरोध किया जाएगा। स्थानान्तरण आदेश जारी करने वाला अधिकारी लिखित में

अनुविभागीय अधिकारी (उपखण्ड) मन्दसौर

Scanned with OKEN Scanner

कार्यमुक्त होने की अवधि को 10 दिवस से अनधिक बढ़ा सकेगा। बढ़ाई गई अवधि तक ही पटवारी पूर्व पदस्थापना पर रोका जा सकेगा।

3. यथा स्थिति, दो सप्ताह की सामान्य समयावधि अथवा बढ़ी हुई समयावधि व्यतीत हो जाने पर सक्षम प्राधिकारी या उससे वरिष्ठ स्तर का अधिकारी स्थानांतरित पटवारी को कार्यमुक्त करेगा। उक्त अवधि में स्थानांतरित पटवारी यदि कार्यमुक्त नहीं होता है, तो उसे एक तरफा कार्यमुक्त किया जाएगा। एक तरफा कार्यमुक्त करने की तिथि से स्थानांतरण आदेश क्रियान्वित हुआ माना जावेगा।
4. कार्यमुक्त होने के पश्चात् स्थानांतरित पटवारी का वेतन नवीन पदस्थापना से ही आहरित होगा।
5. कार्यमुक्त होने के पश्चात एवं नवीन पदस्थापना पर कार्यभार ग्रहण करने के मध्य की अवधि के किसी भी प्रकार का अवकाश प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग का अभिमत प्राप्त करने के पश्चात ही स्वीकृत किया जा सकेगा।
6. स्थानांतरण आदेश का बिना युक्तिसंगत कारणों से अपालन, बिना पूर्वानुमति एवं स्वीकृति के अवकाश पर प्रस्थान करने वाले अधिकारी, कर्मचारी के विरूद्ध पृथक से अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की जावेगी।
7. स्थानांतरित किये गये शासकीय सेवक का अवकाश नई पदस्थापना वाले कार्यालय में ज्वाईन करने के पश्चात स्वीकृत किया जायेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी
(उपखण्ड) मन्दसौर

पृ.क. 1519 / उपखण्ड / री–1 / 2023 मंदसौर, दिनांक 07 / 07 / 2023

प्रतिलिपि–

1. कलेक्टर महोदय स्थापना शाखा जिला मदंसौर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. निज सचिव, माननीय मंत्री औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मध्यप्रदेश की ओर सादर सूचनार्थ।
3. जिला कोषालय अधिकारी मंदसौर।
4. तहसीलदार मंदसौर नगर / ग्रामीण / दलौदा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. राजस्व निरीक्षक वृत 1 मंदसौर / 02धुंधड़का / 03 आकोदडा की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. संवंधित श्री ____________________ की ओर पालनार्थ।
7. मैमो / पर्सनल फाईल.

अनुविभागीय अधिकारी
(उपखण्ड) मन्दसौर